



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042026-271851
CG-DL-E-16042026-271851

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1855]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 2026/चैत्र 26, 1948

No. 1855]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 2026/CHAITRA 26, 1948

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2026

का.आ. 1924(अ).— केन्द्रीय सरकार, भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) की धारा 6 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री जी.एस. अहलूवालिया को भोपाल गैस विभीषिका के पीड़ितों के कल्याण के लिए आयुक्त के पद का समवर्ती प्रभार धारण करने हेतु पदभार ग्रहण करने कि तारीख से आनुपातिक प्रतिकर और अनुग्रह राशि के वितरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक या उनकी सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेशों तक, जो भी पूर्वतर हो, नियुक्त करती है।

[फा. सं. बीएच-11014/1/2012-बीएच]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Chemicals and Petrochemicals)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th April, 2026

S.O. 1924(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 6 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby appoints Justice Shri G.S. Ahluwalia, Judge of the High Court of Madhya Pradesh to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the welfare of the victims of Bhopal gas leak disaster with effect from the date of assumption of charge of the post till the completion of the disbursement of pro-rata compensation and ex-gratia, or till his superannuation, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. BH-11014/1/2012-BH]

DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.